न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/130/2021	2021/229	08–10–2021	16–06–2022

01– मोहनलाल पुत्र मदनलाल जाति बाहम्मण निवासी ग्राम प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर। (राजस्थान) –अपीलांट

बनाम

01– राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर। (राजस्थान)

–रेस्पोडेण्ट

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.) * न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) *

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार थानागाजी दिनांक 15.05.201 प्रकरण संख्या 15/2018 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विवादित आराजी किस्म गै0मु0 रास्ते की भूमि से बेदखली/निमार्ण कार्य को ध्वस्त किये जाने जाने बाबत।

उपस्थितः–

01–श्री रामबहादुर सिंह –वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 15.05.2019 जिसके द्वारा प्रकरण संख्या 15/2018 उनवान सरकार बनाम मोहनलाल में राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल0 आर0 एक्ट के तहत ग्राम प्रतापगढ की आराजी खसरा न0 457 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को ध्वस्त कर बैदखल की कार्यवाही से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्ट का एक मन्दिर वाके ग्राम प्रतापगढ तहसील थानागाजी में बना हुआ है, जिसके चारो तरफ पुख्ता डण्डा अरसे दराज से करीब 70 साल से बना हुआ है, सभी लोग मन्दिर में पूजा अर्चना करते चले आ रहे है। उक्त मन्दिर में डण्डे के आसपास कोई नही है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट आराजी खसरा न0 454 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0 मु0 नदी पर किये गये अतिक्रमण के क्रंम में पेश की गयी है, तथा आदेश में बेदखल आराजी खसरा न0 457 रकवा 0.01 है0 पर से किया गया है। डण्डा भी इसी नम्बर पर बना हुया है। जबकि यह न0 गै0 मु0 नदी नही है, क्योकि आदेश में इसे गै0 मु0 रास्ता दर्ज कर रखा है। इस प्रकार अविनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड व मोका देखे यह आदेश पारित किया गया है, जो मन्सूख होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनाक 15.05.2019 की कोई जानकारी नही थी, क्योंकि उसे कभी कोई नोटिस नही दिया गया न मोके पर कोई नपत देखने आया अभी हाल ही में आदेश की पालना कराने के लिये दिनाक 20.01.2019 को मोके पर पटवारी हल्का आये जव आदेश दिनाक 15.05.2019 की जानकारी हुई इसके बाद दिनाक 21.01.2020 को तहसील से नकल प्राप्त की और कानूनी सलाह लेकर अविलम्ब बिना देरी किये पेश की गयी है, आदेश

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अधिनियम का नोटिस दिया गया जिसकी तामील अपीलान्ट को कभी

दिनाक 15.05.2019 से जानकारी की तारीख 20.01.2020 तक का समय जानकारी के अभाव में मुजरा दिया जाना न्यायोचित है, जिसके लिये दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील अन्दर अवधि मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 15.05.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत के द्वारा प्रकरण संख्या 15/2018 उनवान सरकार बनाम मोहनलाल में राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल0 आर0 एक्ट के तहत ग्राम प्रतापगढ की आराजी खसरा न0 457 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को ध्वस्त कर बैदखल की कार्यवाही किये जाने हेतु दिनाक 15.05.2019 को विधिवत निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकील अपीलाण्ट व विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलाण्ट ने यह अपील तहत अदालत के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.2019 के विरूद्ध दिनांक 30.01.2020 को न्यायालय को पेश की है, जो करीब 9 माह के पश्चात पेश की है। विलम्ब की अवधि साधारण नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दफा–05 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है, जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपील अपीलाण्ट ने अपील में मुख्य तर्क उठाया है कि आराजी खसरा न0 454 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0 मु0 नदी पर किये गये अतिकमण के कंम में पेश की गयी है, तथा आदेश में बेदखल आराजी खसरा न0 457 रकबा 0.01 है0 पर से किया गया है। डण्डा भी इसी नम्बर पर बना हुआ है। जबकि यह न0 गै0 मु0 नदी नही है, क्योकि आदेश में इसे गै0 मु0 रास्ता दर्ज कर रखा है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड व मौका देखे यह आदेश पारित किया गया है, तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन से जाहिर है, कि पटवारी हल्का द्वारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोट आराजी खसरा न0 454 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0 मु0 नदी पर किये गये अतिकमण के कंम में पेश की गयी है, तथा आदेश में बेदखल आराजी खसरा न0 457 रकबा 0.01 है0 पर से किया गया है, जो उचित प्रतित नही होता है। प्रकरण में विवादित आराजी की स्थिति स्पष्ट नही है, विरोधाभास की स्थिति होने के कारण अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर तहसीलदार थानागाजी द्वारा पारित आदेश दिनाक 15.05.2019 को निरस्त किया जाता है, प्रकरण तहसीलदार थानागाजी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि अतिकमित क्षैत्र आराजी खसरा नम्बर की पुन विधिक जॉच कर विधिसम्मक समुचित सुनवाई कर विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्वर से कम हो तथा बाद तकमील जमा रिकार्ड हो।

आज दिनांक 16.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0जिला कलक्टर प्रथम
अलवर (राजस्थान)